प्रेस हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति सं. 112/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024' में मसौदा संशोधनों पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 05 अगस्त, 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024' में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें हितधारकों से इस पर टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

2. अगस्त, 2024 में ट्राई ने पूर्ववर्ती सेवा गुणवत्ता (QoS) ढाँचे की व्यापक समीक्षा की और दिनांक 2 अगस्त, 2024 को समेकित विनियम 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024' अधिसूचित किया। ये विनियम तकनीक-निरपेक्ष निष्पादन मानकों, सुदृढ़ रिपोर्टिंग तंत्र तथा उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी उपायों के आधार पर एक्सेस एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी हेतु अद्यतन सेवा गुणवत्ता ढाँचा प्रदान करते हैं। ये विनियम 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हुए।

3. इन विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव, हितधारकों से प्राप्त फीडबैक, प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर विकास तथा विश्वसनीय एवं उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वयन के दौरान चिन्हित मुद्दों का समाधान करना तथा सेवा गुणवत्ता ढाँचे की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार, 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024' के कुछ उपबंधों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

4. 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026' के मसौदा अधिसूचना सहित परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिस पर हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

5. मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित संशोधनों अथवा विनियमों के अन्य किसी प्रासंगिक उपबंध पर लिखित टिप्पणियाँ तथा प्रति-टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, को क्रमशः **26 अगस्त, 2026** तथा **7 सितंबर, 2026** तक अधिमानतः मेल द्वारा adv-qos1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

6. किसी भी स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (सेवा गुणवत्ता-I) से adv-qos1@trai.gov.in अथवा +91-11-20907759 पर संपर्क किया जा सकता है।

05/08/26

(हरिन्द्र कुमार)

सचिव, भादूविप्रा